

क्रमांक: - मु0स0प्र0/आवा./00-01/ 0868

दिनांक: - 24-10-2020

अध्यक्ष,
न्यू इण्डियन पब्लिक स्कूल समिति,
हाउसिंग बोर्ड, झुन्झुनू,
झुन्झुनू(राज0)

विषय: - डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत मण्डल की पुरानी आवासीय योजना, झुन्झुनू में आवंटित भूमि का आवंटन पत्र ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 18-10-2000 को आयोजित बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 29 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार मण्डल द्वारा आपकी संस्था को मण्डल की पुरानी आवासीय योजना, झुन्झुनू में 2390.25 वर्ग मीटर भूमि स्कूल निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार होगा ।

भूखण्ड की कीमत का विवरण

1-	भूखण्ड की कीमत ₹रु. 324.50 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹	7,75,636.00
2.	विविध खर्च की राशि	23,269.00
	लीज राशि ₹ एक वर्ष की ₹	19,391.00
	योग	8,18,296.00
	पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राशि	15,513.00
	शेष जमा कराने योग्य राशि	8,02,783.00

उपरोक्त राशि रु. 8,02,783.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से बनाकर इस पत्र के जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में संलग्न चालान के द्वारा जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति एवं वॉल्टेड प्रपत्र पूर्ण करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आवंटन की शर्तें :-

- (1) उपरोक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन बिना किसी पूर्ण सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं मण्डल इस भूमि को किसी अन्य संस्था को आवंटन करतें हेतु पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा ।
- (2) वार्षिक लीज राशि रु. 19391.00 अर्धवार्षिक किश्तों में दो बार जनवरी एवं जुलाई में जमा कराने होगी। लीज राशि 99 वर्ष तक जमा करानी होगी। संस्था द्वारा 9 वर्ष की अवधि लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर मण्डल द्वारा एकमुश्त लीजरशि का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।



ATTESTED
(Signature)
NOTARY PUBLIC
HANUMAN SINGH MEHLA
JHUNJHUNU (RAJ) INDIA

क्रमशः ----- 3

- 13] भूखण्ड का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिसके लिये मण्डल ने भूखण्ड आवंटित किया है। किसी अन्य कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही वाणिज्यिक लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किया जायेगा।
- 14] संस्था को आवंटित भूखण्ड पर आवंटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा। 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन को यदि कोई होगा तो मण्डल द्वारा अधिगृहित कर लिया जायेगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
- 15] यदि शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्था के लिये भूमि का आवंटन हुआ है तो आवंटी संस्था को उक्त आवंटित भूमिपर निर्मित किये जाने वाले विद्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में मण्डल के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षित कोटे एवं 50 प्रतिशत शिक्षण शुल्क ही लिये जाने का प्रावधान रखना होगा।
- 16] आवंटित भूखण्ड की चार दीवारी के निर्माण पर लगाने वाला व्यय संस्था को वहन करना पड़ेगा, जिसका निर्माण मण्डल द्वारा कराया जायेगा।
- 17] आवंटित की गई उक्त भूमि पर मण्डल द्वारा करवाये गये निर्माण की लागत का ऑकलन आवासीय अभियन्ता, खण्ड-इन्जिनू द्वारा किया जाकर इसका वहन संस्था द्वारा किया जायेगा, जो आवंटित भूमि की लागत से अतिरिक्त वसूलनीय है।

प्रतिरिपि :-

- 1- उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, इत-द्वितीय, जयपुर।
- 2- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-इन्जिनू, राजस्थान आवासन मण्डल, इन्जिनू ।
- 3- वॉरिण्ट नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।



तकनीकी सहायक/अध्यक्ष
सदस्य सचिव (पीएसी)

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
HANUMAN SINGH MEHTA
JHUNJHUNU (RAJ.) INDIA

तकनीकी सहायक/अध्यक्ष
सदस्य सचिव (पीएसी)

प्र. क्र. 4 (नियम 22, 23 तथा 24 (1) के अन्तर्गत)

नगर परिषद्

झुंझुनू (राज.)

रु. ५१२३५/-

दिनांक 7-2-2020

सू. संख्या

77

क्रमांक

1

चक 133047 DT-4-2-2020

श्री

श्री लक्ष्मण सिंह मील, अध्यक्ष-यू.
एडियन पाइलट स्कूल समिति झुंझुनू

रूपये शब्दों में

प. 7 एक बालीय टजार दा. 50
प. 7 की रूपये मात्र

कारण से

90 क आवेदन शुल्क

अवधि.....के लिए।

निम्न मांग के भुगतान स्वरूप पूर्णतः/अंशतः प्राप्त वि

प्रगामी प्रसंग मांग व संग्रहण पंजिका का क्रमांक

रु.

विपत्र संख्या

५१२३५/-

दिनांक

दिनांक 7-2-2020

Savitri
आयुक्त